न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील (LRएक्ट) सं. 54/2011

उनवान

1. श्रीमती भँवरी बेवा श्री देवीलाल
2. फूलचन्द पुत्र श्री देवीलाल
3. श्रीमती शांति पुत्री श्री देवीलाल
4. श्रीमती लीला पुत्री श्री देवीलाल
5. श्रीमती प्रेम पत्नि श्री बाबूलाल(बाबूलाल पुत्र श्री देवीलाल)
6. विक्रम पुत्र श्री बाबूलाल
7. रोहित पुत्र श्री बाबूलाल
8. मोहित पुत्र श्री बाबूलाल
9. मीरा पुत्री श्री बाबूलाल
10. सुमन पुत्री श्री बाबूलाल
11. अर्पिता पुत्री श्री बाबूलाल

कम सं0 6 से 11 नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती प्रेम पत्नि स्व.बाबूलाल जाति भांबी निवासी लोहागल, तहसील व जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती ग्यारसी बेवा श्री गोपी
2. कंचन पुत्री श्री गोपी
3. शिवराज पुत्र श्री रतन(रतन पुत्र श्री गोपी)नाबालिग जरिये सरंक्षक दादी श्रीमती ग्यारसी जाति भांबी निवासी लोहागल, तहसील व जिला–अजमेर।
4. श्रीमती ललिता सुपुत्री श्री औंकारलाल, जाति भांबी, निवासी घूघरा (अजमेर)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर .....रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलान्ट्स
2.श्री घनश्यामसिंह लखावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्रीशुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक –07.12.2016

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम लोहगाल तहसील एवं जिला अजमेर स्थित ख.नं0 339 मिन रकबा 0–5–0 किस्म बारानी 3, खसरा नं0 341 रकबा 0–3–0 किस्म बारानी 3, खसरा नं0 342 रकबा 0–11–0 बारानी 3 खसरा नं0 343 रकबा 0–6–0 किस्म बरडा, खसरा नं0 340 रकबा 0–14–0 बरडा, खसरा नं0 346 रकबा 0–7–0 बारानी–3 खसरा नं0 347 मिन रकबा 0–18–0 रकबा बारानी–3, खसरा नं0 1125 रकबा 1–0–10 बारानी 1 खसरा नं0 1127 रकबा 2–9–0 बारानी–1 कुल किता 9 रकबा 6–13–10 बीघा के रेकार्डेड खातेदार देवी, धन्ना, काना व अमरा पुत्रान श्री सेवा 1/2

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हिस्सा व गणेश पिता नानगा 1/2 हिस्सा जाति भांबी साकिन देह थे। जिनमें से गणेश पिता नानगा का खसरा नं0 341, 342, 343, 340, 346, व 347 मिन का 1/2 हिस्सा जरिये नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 27.6.1987 के द्वारा गोपीलाल पुत्र श्री गोकल भांबी के नाम दर्ज हुआ तथा शेष आधा हिस्सा देवी, धन्ना, काना व अमरा पुत्रान श्री सेवा में निहित रहा तत्पश्चात सम्पूर्ण आराजी का आधा भाग जरिये नामान्तरकरण संख्याा 207 दिनांक 9.12.216 के द्वारा धन्ना का हिस्सा देवी काना व अमरा पिता सेवा में निहित होकर दर्ज हुआ। खसरा नं0 1125 एवं 1127 का सम्पूर्ण रकबा जरिये नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 18.9.98 देवीलाल पुत्र सेवा भांबी के नाम दर्ज हुआ जिनके फौत होने पर उक्त दो खसरा नम्बरान की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 1435 दिनांक 2.8.2010 के तहत वर्तमान अपीलान्ट्स के नाम दर्ज की गई। देवी, काना, व अमरा पुत्रान श्री सेवा द्वारा आराजी खसरा नं0 339 मिन, 341, 342, 343, 340, 346, 347 मिन का आधा हिस्सा विक्रय कर देने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 628 दिनांक 6.3.2006 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमती ललिता में निहित हो गया। तथा उक्त खसरा नम्बरान का आधा हिस्सा गोपीलाल पुत्र गोकल में निहित रह गया। खसरा नं0 339 मिन, 341, 342, 343, 340, 346 व 347 मिन के आधे भाग के रिकार्डेड खातेदार गोपीलाल पुत्र श्री गोकल द्वारा दो गवाहो के समक्ष दिनांक 17.8.92 को उक्त भूमि बाबत एक वसीयत अपीलान्ट्स के पूर्वज देवी पुत्र सेवा हक में निष्पादित की गई। तत्पश्चात दिनांक 23.12.2003 को श्री गोपीलाल पुत्र श्री गोकल का स्वर्गवास हो गया जिससे उक्त वर्णित आराजीयात के श्री गोपीलाल के निहित 1/2 हिस्से के काश्तकारी स्वत्व उक्त वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री देवी पुत्र श्री सेवा में निहित हो गये। लेकिन तहसीलदार अजमेर द्वारा गैर कानूनी रूप से गोपीलाल पुत्र श्री गोकल के वारिसान यथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में नामान्तरकरण संख्या 1464 दिनांक 22.9.2010 द्वारा तस्दीक कर वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया। इसी आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1464 दिनांक 22.9.2010 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. को नोटिस जारी किये जाकर अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया। रेस्पों. जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पों0 सं0 4 की और से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट्स अभिभाषक ने अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होना बताते हुये अपील अपीलान्ट्स को मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य बताया। जवाब में अपीलान्ट्स अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया जबकि विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का था दिनांक 20.7.2011 को कुछ अजनबी व्यक्ति मौके पर आये जिनके द्वारा अपीलान्टं/प्रार्थी संख्या–2 द्वारा पूछने पर उनके द्वारा स्वयं को भूमि का खातेदार गोपी का वारिसान बताया तथा जमीन का सौदा करने की बात कही। अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा उक्त जमीन गोपी जी द्वारा उनके पिता को वसीयत कर दिये जाने से उनके स्वर्गवास के पश्चात इस भूमि के मालिक काबिज होना बताया गया, तो उन्हौन जाकर रिकार्ड देखने की बात कही। इस पर अपीलान्ट/प्रार्थी दिनांक 21.7.2011 को पटवारी हल्का से मिलने पर प्रश्नगत आराजी का गोपी जी के वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक होने की जानकारी हुई। अपीलान्टस द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी की नकल हेतु दिनांक 22.7.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर दिनांक 28.07.2011 को अभिभाषक से सम्पर्क कर अपील तैयार कर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील प्रस्तुति में हुए सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। मियाद बिन्दु बाबत् कथनो पर मनन

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

किया न्यायहित में प्रा0 पत्र धारा 5 मयाद अधि0 स्वीकार कर अपील मयाद में शुमार करते हुऐ गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम लोहगल तहसील एवं जिला अजमेर स्थित ख.नं0 339 मिन रकबा 0–5–0 किस्म बारानी 3, खसरा नं0 341 रकबा 0–3–0 किस्म बारानी 3, खसरा नं0 342 रकबा 0–11–0 बारानी 3 खसरा नं0 343 रकबा 0–6–0 किस्म बरडा, खसरा नं0 340 रकबा 0–14–0 बरडा, खसरा नं0 346 रकबा 0–7–0 बारानी–3 खसरा नं0 347 मिन रकबा 0–18–0 रकबा बारानी–3, खसरा नं0 1125 रकबा 1–0–10 बारानी 1 खसरा नं0 1127 रकबा 2–9–0 बारानी–1 कुल किता 9 रकबा 6–13–10 बीघा के रेकार्डेड खातेदार देवी, धन्ना, काना व अमरा पुत्रान श्री सेवा 1/2 हिस्सा व गणेश पिता नानगा 1/2 हिस्सा जाति भांबी साकिन देह थे। जिनमें से गणेश पिता नानगा का खसरा नं0 341, 342, 343, 340, 346, व 347 मिन का 1/2 हिस्सा जरिये नामान्तरकरण संख्या 25 दिनिांक 27.6.1987 के द्वारा गोपीलाल पुत्र श्री गोकल भांबी के नाम दर्ज हुआ तथा शेष आधा हिस्सा देवी, धन्ना, काना व अमरा पुत्रान श्री सेवा में निहित रहा तत्पश्चात सम्पूर्ण आराजी का आधा भाग जरिये नामान्तरकरण संख्याा 207 दिनांक 9.12.216 के द्वारा धन्ना का हिस्सा देवी काना व अमरा पिता सेवा में निहित होकर दर्ज हुआ। खसरा नं0 1125 एवं 1127 का सम्पूर्ण रकबा जरिये नामान्तरकरण संख्या 262 दिनांक 18.9.98 देवीलाल पुत्र सेवा भांबी के नाम दर्ज हुआ जिनके फौत होने पर उक्त दो खसरा नम्बरान की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 1435 दिनांक 2.8.2010 के तहत वर्तमान अपीलान्ट्स के नाम दर्ज की गई। देवी, काना, व अमरा पुत्रान श्री सेवा द्वारा आराजी खसरा नं0 339 मिन, 341, 342, 343, 340, 346, 347 मिन का आधा हिस्सा विक्रय कर देने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 628 दिनांक 6.3.2006 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 श्रीमती ललिता में निहित हो गया। तथा उक्त खसरा नम्बरान का आधा हिस्सा गोपीलाल पुत्र गोकल में निहित रह गया। खसरा नं0 339 मिन, 341, 342, 343, 340, 346 व 347 मिन के आधे भाग के रिकार्डेड खातेदार गोपीलाल पुत्र श्री गोकल द्वारा दो गवाहो के समक्ष दिनांक 17.8.92 को उक्त भूमि बाबत एक वसीयत अपीलान्ट्स के पूर्वज देवी पुत्र सेवा हक में निष्पादित की गई। तत्पश्चात दिनांक 23.12.2003 को श्री गोपीलाल पुत्र श्री गोकल का स्वर्गवास हो गया जिससे उक्त वर्णित आराजीयात के श्री गोपीलाल में निहित 1/2 हिस्से के काश्तकारी स्वत्व उक्त वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री देवी पुत्र श्री सेवा में निहित हो गये। लेकिन तहसीलदार अजमेर द्वारा गैर कानूनी रूप से गोपीलाल पुत्र श्री गोकल के वारिसान यथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में नामान्तरकरण संख्या 1464 दिनांक 22.9.2010 तस्दीक कर वर्किंग जमाबन्दी में अमल दरामद कर दिया। वसीयतकर्ता श्री गोपीलाल के द्वारा आराजी गणेश पुत्र नानगा से क्रय किये जाने से उनकी पुश्तैनी आराजी न होकर क्रय शुदा आराजी होने से उन्हे उक्त आराजी बाबत वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था। दो गवाह के समक्ष निष्पादित वसीयत को नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाई गई थी। श्री गोपीलाल के स्वर्गवास के पश्चात विवादित भूमि में श्री गोपीलाल के 1/2 हिस्से के समस्त हक अधिकार एवं काश्तकारी स्वत्व अपीलान्ट्स के पूर्वज श्री देवी पुत्र श्री सुवा में निहित हो गए तब से वे उक्त आराजियात पर बहैसियत काबिज काश्त चले आ रहे थे एवं श्री देवीलाल जी के स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट्स जरिये विरासत लगातार काबिज काश्त चले आ रहें है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौके की भौतिक स्थिति की जांच नहीं कर लैण्ड रिकार्ड रूल्स 119 लगायत 121 की पालना किये बिना आक्षेपित नामान्तरकरण पारित किया है, जो काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 1464 दिनांक 22.9.2010 निरस्त फरमाते हुए ग्राम लोहागल तहसील व जिला अजमेर की वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 339 मिन, 341, 342, 343, 340, 346, 347 मिन का 1/2 भाग का नामान्तरकरण वसीयत दिनांक 17.8.1992

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

07/12/16

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के आधार पर अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा RRD 1984 पेज 391 एवं RRD 1986 पेज 135 के उद्धरण उद्धत करवाये।

जवाब में रेस्पोडेन्ट्स अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के पूर्वज की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि रहीं है। काबिज खातेदार काश्तकार श्री गोपीलाल की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त आराजी के स्वत्व जरिये विधिक वारिसान की हैसियत से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के हक में निहित हो गये तहसीलदार अजमेर द्वारा इसी आधार पर पटवारी हल्का एवं भू0अ0 की रिपोर्ट के आधार पर बाद जांच आक्षेपित नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किया है। वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार श्री गोपीलाल की मृत्यु के करीब आठ वर्ष पश्चात कथित अवैध, व अपंजीबद्ध वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स को उपरोक्त वादग्रस्त आराजी बाबत विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। चूंकि नामान्तरकरण एक Fiscal proceeding है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलान्टस अपने निहित खातेदारी अधिकारों के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर सकतें है। इस परिपेक्ष में अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से विधिवत है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रूटि कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा RRT 2003 (1) पेज 650–653 के उद्धरण उद्धत करवाये।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि वादग्रस्त आराजी के रेकार्डेड खातेदार गोपीलाल पुत्र गोकल कौम भांबी की मृत्यु वर्ष 2003 में होने के पश्चात आक्षेपित विरासती नामान्तरकरण 1464 दिनांक 20.9.2010 के द्वारा प्रश्नगत आराजी का 1/2 हिस्सा वर्किंग जमाबन्दी में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किया गया है। अपीलान्ट्स कोई सन्तोष जनक आधार के द्वारा यह साबित करने में पूर्णतया असमर्थ रहे है कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार श्री गोपीलाल की मृत्यु वर्ष 2003 में होने के पश्चात वर्ष 2011 तक उनके द्वारा प्रश्नगत आराजी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु वसीयत क्यों नहीं प्रस्तुत की गई। चूंकि नामान्तरकरण एक Fiscal proceeding है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलान्टस अपने निहित खातेदारी अधिकारों के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील पर्याप्त साक्ष्य, सबूत व ठोस आधार के अभाव में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.12..2016 को मेरे इजलास के सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner